

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्णोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025 / 160

दायरा तिथि : 21.04.2025

आदेश तिथि : 28-05-2025

प्रार्थी :-

गजेश मेवाडा पुत्र दलपतसिंह जाति मेवाडा कलाल निवासी महावीर बस्ती शिवगंज तहसील शिवगंज

ब न म

अप्रार्थी :-

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक: 28-05-25

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3186, 3187, 3188, 3190 रकबा 3.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3174, 3180, 3182, 3183 में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमों के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में निरीक्षक अभिलेख सेवाडी को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/1375 दिनांक 26.05.2025 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1. यह है कि प्रार्थी की धारित भूमि तक आवागमन हेतु कोई रास्ता वैकल्पिक रूप से उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही इस हेतु इकलौता स्रोत है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता उपलब्ध समस्त स्रोतों में से निकटतम है।
3. यह है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर चलायमान है।
4. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	3180	2.5824 हैक्टर	गै.मु. मगरी	1210X6=7260 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
2	3182	1.41 हैक्टर	बा.दो.	55X9=495 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3	3183	6.66 हैक्टर	गै.मु. मगरी	120X9=1080 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

5. यह कि निरीक्षक भू-अभिलेख सेवाडी द्वारा प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 3,00,000/- रुपये प्रति हैक्टर है।

सहायक क्लर्क एवं पट्टेदार उपखण्ड अधिकारी, बाली

यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू-भाग पर निर्माण कार्य, अन्य कोई क्षति नहीं है।

प्रकरण में तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी को रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंघा की गई। तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार.....02

// 02 //

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025 / 160
 अनवान गजेश मेवाडा बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकूलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3186, 3187, 3188, 3190 रकबा 3.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार बाली द्वारा जांच के पश्चात् नया रेकर्ड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपटित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध में राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक:प.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियों के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3186, 3187, 3188, 3190 रकबा 3.1400 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से राजकीय सिवायचक की भूमि ग्राम सेवाडी पटवार हल्का सेवाडी तहसील बाली के खसरा नंबर 3180 रकबा 7.18 हैक्टर, खसरा नंबर 3182 रकबा 1.41 हैक्टर व खसरा नंबर 3183 रकबा 6.66 हैक्टर में से $7260+495+1080=8835$ वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमों के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 300000/-रूपये प्रति हैक्टर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
3180	2.5824 हैक्टर	1210X6=7260 वर्गमीटर	30	217800X2=435600	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3182	1.41 हैक्टर	55X9=495 वर्गमीटर	30	14850X2=29700	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
3183	6.66 हैक्टर	120X9=1080 वर्गमीटर	30	32400X2=64800	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
		कुल 8835 वर्गमीटर		कुल राशि 530100/- रूपये	

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 530100/- (अक्षरे पांच लाख तीस हजार एक सौ रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के नक्शा में तरमीम कर पालना प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जायेगी। मिसल फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



क्रमांक/कोर्ट/2025/ 599-603
 प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ:-

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, सेवाडी
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक गजेश मेवाडा पुत्र दलपतसिंह जाति मेवाडा कलाल निवासी महावीर बस्नी शिवगंज तहसील शिवगंज को सूचनार्थ।

(दिनेश विष्ट) एवं पदेन
 सहायक कमिश्नर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 दिनांक 28/05/25

(दिनेश विष्ट) एवं पदेन
 सहायक कमिश्नर एवं पदेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली

